

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 25, बुधवार, शके 1948- अप्रेल 15, 2026 Chaitra 25, Wednesday, Saka 1948- April 15, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

अधिसूचना

अलवर, अक्टूबर 16, 2025

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या यूआईटी/आवंटन/भू.उप.परि./2025/9314 :-न्यास कार्यालय के पत्र क्रमांक 16908/18 दिनांक 18.01.2018 खसरा नं0 14 ग्राम बेलाका श्री अमित कुमार गुप्ता व श्री अजय कुमार गुप्ता पुत्रान श्री बृजमोहन गुप्ता निवासी:- बी-20 बुद्ध विहार अलवर के नाम परिवर्तन जारी किया गया। जिसका क्षेत्रफल 375 वर्गगज है। आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग चाहा गया है। वर्तमान में मास्टर प्लान-2051 में आवासीय एवं जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुसार व्यावसायिक उपयोग दर्शाया गया है।

भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 09.01.2025 के निर्णयानुसार भूखण्ड सं0 14-बी खसरा नं0 साबिक 14 व हाल 16 ग्राम बेलाका का आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है उक्त भूखण्ड के मध्य लीज राशि 45,900/-, भू-उपयोग परिवर्तन की राशि 5,51,221/-, एन0सी0पी0 3,63,718/- व प्रिंटिंग चार्ज 1500/- जर्ने रसीद संख्या 3422/11 दिनांक 13.10.2025 एवं बी.एस.यू.पी. शैल्टर फण्ड राशि 7839/- जर्ने रसीद 3431/24 दिनांक 13.10.2025 कुल राशि 9,70,178/- रुपये न्यास कोष में जमा करा दिये गये हैं। भूखण्ड का आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग निम्न शर्तों के साथ किया जाता है :-

1. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 के अनुसार पार्किंग व समस्त प्रावधान रखना होगा।
2. प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जावेगी जिससे उस क्षेत्र की शान्ति भंग हो।
3. न्यास कार्यालय से भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
4. भूखण्ड के सामने कम्पाउण्डवॉल का निर्माण नहीं करेगा।
5. राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग के परिवर्तन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना की जानी होगी।
6. उक्त भूखण्ड पर जारी आदेश की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा तथा शेष कार्य 4 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
7. नगरीय विकास आवासन मण्डल एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के अधिसूचना क्रमांक प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 के द्वारा पट्टा/आवंटन शुदा भूखण्ड में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी करने की तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन

- की देय राशि नियमानुसार जमा तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन के अनुसार लीजडीड/पूरक लीजडीड पंजीकरण कराया जावे।
8. भूखण्ड पर प्रस्तावित उपयोग अनुसार न्यास से प्रचलित भवन विनियमों अनुसार सेंटबैक की सुनिश्चितता करते हुए भवन मानचित्र अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा एवं प्रवेश व निकास मुख्य सड़क से ही अनुज्ञेय होंगे।
9. राज्य सरकार के आदेश के अनुसार समय-समय पर प्राचलित नियमों के तहत जमा कराना होगा।

स्नेहल धायगुडे नाना,
सचिव,
नगर विकास न्यास, अलवर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।